P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-7* (Part-1) March- 2019
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

भारतीय सेकुलरिज्म और पश्चिमी सेकुलरिज्म : एक विश्लेषण

सारांश

सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में सेक्युलरिज्म शब्द बहुत ही विवादस्पद रहा है। विभिन्न विद्वान अपने अनुसार इस शब्द की परिभाषा करते हैं। इस शोध पत्र में इन प्रश्न को तलाशने का प्रयास किया जाएगा कि पश्चिमी समाज में सेकुलरिज्म की बहस किस परिपेक्ष्य में विकसित हो रही है? ऐसे कौन–से सवाल हैं जिनका हल इस बहस में तलाश किया जा रहा है? साथ ही साथ यह लेख इस बात पर भी बल देता है कि भारतीय सेकुलरिज्म तथा पश्चिमी सेकुलरिज्म में क्या विभिन्नतायें है? क्या भारतीय सेकुलरिज्म पाश्चत्य सेकुलरिज्म की तरह राज्य और धर्म के अलगाव पर आधारित है? अथवा इससे एक कदम आगे जाकर विभिन्न धर्मों के बीच होने वाले साम्प्रदायिक तनाव को समाप्त करके सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास है?

एम. आरिफ खान
शोधार्थी,
राजनीति विज्ञान विभाग,
दिल्ली विश्वविद्यालय,
दिल्ली

मुख्य शब्द : सेकुलरिज्म, पश्चिमी बहस, आधुनिकता, साम्प्रदायिकता।

प्रस्तावना

द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी की परिभाषा के अनुसार सेक्युलरिज्म शब्द का अर्थ है ''वर्तमान जीवन में मनुष्य मात्र का कल्याण ही नैतिकता का आधार होना चाहिए, उसमें ईश्वर अथवा भावी राज्य–सत्ता के प्रति आस्था से उत्पन्न किसी धारणा के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए।'' इसी तरह चौम्बर्स डिक्शनरी के अनुसार सेकुलरिज्म से तात्पर्य इस विश्वास से है कि राज्य, नैतिकता, शिक्षा इत्यादि को धर्म से स्वतंत्र होना चाहिए।[1]

समाजविज्ञान कोष में सेकुलरिज्म की परिभाषा के अनुसार सेकुलरिज्म वह दृष्टिकोण है जिसमें किसी धर्म की सर्वोच्चता स्वीकार नहीं की जाती और सब धर्मों के लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाता है। किसी सामाजिक समस्या का निर्णय करते समय इसमें किसी धर्म, परंपरा या रीति–रिवाज को प्रमाणित न मानते हुए केवल तर्कसंगत मान्यताओं को ही निर्णय का आधार माना जाता है।[2] ब्लैकवेल डिक्शनरी के अनुसार सेकुलरिज्म शब्द को ऐसे सिद्धांत के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो तार्किक ज्ञान पर आधारित मानव व्यवहार के सिद्धांत को स्थापित कर सके।[3] इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि सेकुलरिज्म का आधार आधुनिकता है जो तर्क और वैज्ञानिकता से जुड़ा हुआ है।

शोध विधि

इस लेख में विश्लेषणात्मक शोध विधि का प्रयोग करते हुए तुलनात्मक द्रष्टिकोण से भारत और पश्चिम में सेकुलरिज्म की बहस को समझने का प्रयास किया गया है और सेकुलरिज्म पर लिखे गये विभिन्न लेखों का आलोचनात्मक समीक्षा किया जाएगा। सैद्धांतिक बहस के अलावा व्यवहार में पश्चिमी जगत और भारत इसे कैसे लागू किया जा रहा है इसका भी अध्ययन किया जाएगा।

सेकुलरिज्म की पश्चिमी अवधारणा

'सेक्यूलर' शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सेकुलम शब्द से हुई है जिसका अर्थ 'युग' अथवा 'पीढ़ी' तथा समय और जगत है। लेकिन क्रिश्चियन लेटिन में इस शब्द का प्रयोग चर्च से संबंध के विरोध में किया जाता था। आधुनिक समय में इस शब्द का प्रयोग विभिन्न रूपों में जैसे लौकिक, सांसारिक, भौतिक, विलोम धर्म के रूप में प्रयोग किया जाता है।[4]

सेकुलरिज्म एक ऐसी अवधारणा है जिसका विकास पश्चिम देशों में हुआ। पश्चिमी देशों में सेकुलरिज्म का अर्थ राज्य और चर्च के बीच अलगाव के रूप में देखा जाता है और सेकुलरिज्म के अनुसार राज्य अलग–अलग धर्मों के प्रति तटस्थ रहता है तथा सभी नागरिकों को अपनी पसंद के अनुसार कोई भी धर्म स्वीकार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अन्य अर्थों में 'सेकुलरिज्म' शब्द का प्रयोग 'धर्म' के विपरीत रूप में किया जाता था जिसका अर्थ कुछ लगाते थे कि सेकुलरिज्म का अर्थ धर्म का विरोध करना है। परन्तु सेकुलरिज्म

का यह अर्थ बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है कि धर्म का राज्य से कोई संबंध नहीं होगा।[5]

आधिकारिक रूप से सेकुलरिज्म के प्रभुत्व की स्थापना यूरोप में तीस साल तक चले युद्ध के अंत में 1648 की वेस्टफेलिया की संधि से मानी जाती है। इस संधि के अंतर्गत चर्च के वर्चस्व को बहुत हद तक समाप्त कर दिया गया और राजा एवं राज्य की सारभौमिकता स्थापित हुई।[6]

इस प्रकार संत्रहवीं सदी के अन्त तक इस प्रक्रिया में काफी तेजी आई। उस समय इसका मतलब चर्च की संपत्ति का राजा के नियंत्रण में हस्तांतरण तक ही सीमित था। अट्ठारहवी सदी में इस प्रवृत्ति ने और जोर पकड़ा। और फ्रांस की क्रांति में ज्ञानोदय की विचारधारा और सेकुलरीकरण के आग्रह काफी ताकतवर ढंग से व्यक्त हुए। इसे एक वाद का रूप उन्नीसवी सदी के मध्य में मिला जब इंग्लैंड के रेडिकल अनीश्वरीवादी जार्ज जैकब होलियॉक ने 1852 में इस शब्द का पहली बार प्रयोग किया। होलियॉक राबर्ट ओवेन के समाजवादी विचारों, उपयोगितावाद और फ्रांसीसी क्रांति से निकले गणराज्यवाद से प्रभावित थे। नास्तिकता को प्रचारित करने के कारण होलियॉक को जेल भी जाना पड़ा। उनकी कोशिश थी कि नास्तिक, काफिर, फ्री थिंकर और अनीश्वरवादी जैसे शब्दों की जगह कोई नयी अभिव्यक्ति खोजी जाये। उन्हें लगा कि सेकुलरवाद उनके मकसद को पूरी तरह व्यक्त कर सकता है। होलियॉक और उनके उत्तराधिकारी चार्ल्स ब्रैडला ने मिलकर इंग्लैंड में सेकुलर संस्थायें खोली। इन सेकुलर संस्थाओं ने अंग्रेज मजदूरों के उस हिस्से को आकर्षित किया जो अपेक्षाकृत खाते–पीते थे। उन्होंने मांग की कि एंग्लीकन चर्च की विशेष सुविधायें खत्म की जाये, अन्य धर्मों और नास्तिकों को भी समान अधिकार मिले, ईश्वर में आस्था न रखने वालों की गवाही भी वैद्य मानी जाये, और ईशनिंदा को अपराध मानने का कानून खारिज किया जाये। ब्रैडलॉ जब पहली बार ब्रिटिश संसद के लिए चुने गये तो उन्होंने ईश्वर के नाम पर शपथ लेने से इंकार कर दिया, और इस तरह पहली बार किसी अनीश्वरवादी के लिए सरकारी पद ग्रहण करना संभव हुआ। होलियॉक की मृत्यु के बाद इस सेकुलर मुहिम में ब्रैडलॉ का साथ दिया एनी बेसेंट ने जो बाद में हिन्दू और बौद्ध प्रभाव वाले थियोसिफिकल आंदोलन के साथ जुड़गई। इसी तरह उन्नीसवीं शताब्दी में ही इटली के राजा विक्टर इमानुएल ने पोप को राज्यच्यूत करके उसके साथ अपना रिश्ता तोड़लिया। फ्रांस में सरकार और चर्च के बीच फ्रांसीसी क्रान्ति के जमाने से ही चल रहे संघर्ष की परिणति 1901 और 1905 के बीच हुई जिसके तहत चर्च की सम्पत्ति जब्त कर ली गई।

उदारवाद और सेकुलरिज्म

उदारवाद उन्नीसवीं शताब्दी में धर्म की प्रमुखता को सबसे बड़ी चुनौती उदारवाद द्वारा दी गई। जिस कारण सेकुलरिज्म को मजबूती मिलने लगी। उदारवाद के मुख्य सिद्धांत थे– प्रकृति के संबंध में प्रत्यक्ष नैतिक निर्देशन का अभाव, सत्ता के ऊपर स्वतंत्रता को वरीयता, राजनीति का धर्मनिरपेक्षीकरण, सरकारों के संविधानों और विधि के सिद्धांतों का विकास जो कि सरकार की सीमाओं और सरकार के विरूद्ध नागरिकों के अधिकारों को स्थापित करते हैं।[7] इस प्रकार उदारवादी सिद्धांत और परंपराओं में सेकुलरिज्म का मतलब ईश्वर विरोध नहीं है और न ही इसका अर्थ नास्तिकवादी है। उदारवाद को एक ऐसे सिद्धांत के रूप में देखा जाता है जिसमें मनुष्य को अपने विकास के लिए पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाती है तथा सेकुलरिज्म में वे सभी मानव–विचार व क्रियाएं आ जाती हैं जिनका बिना दैवी अथवा अदृश्य शक्तियों का सहारा लिये बिना मानव कल्याण प्राप्त करना लक्ष्य होता है। इस प्रकार सेकुलरीकरण ने पोप–पादरी की स्थापित वरीयता को समाप्त कर हर व्यक्ति के धार्मिक स्वतंत्रता एवं वैज्ञानिक तार्किकता को स्थापित किया।

सेकुलरिज्म का ऐतिहासिक विकास तथा परिभाषा के संदर्भ में यह विश्लेषण आवश्यक है कि सेक्युलर राज्य कैसा होना चाहिए तथा इसके लक्षण क्या होते हैं? सेक्युलर राज्य और व्यक्ति के बीच कैसे संबंध होते हैं? स्पष्टतः सेक्युलर राज्य में राज्य धर्म से पृथक तथा संबंद्ध होता है। राज्य और धर्म दोनों का अपना अलग–अलग क्षेत्र होता है, व्यक्ति की नागरिकता धर्म पर आधारित नहीं होती है इन जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए डी–ई– स्मिथ ने सेक्युलर राज्य की परिभाषा दी है। उनके अनुसार ''सेक्युलर राज्य एक ऐसा राज्य है जो व्यक्तिगत व सामूहिक रूप में धार्मिक स्वतंत्रता की सुरक्षा करता है, व्यक्ति को किसी धार्मिक भेदभाव के बिना एक नागरिक के रूप में देखता है।, संवैधानिक दृष्टि से किसी धर्म विशेष से असंयुक्त रहता है, किसी धर्म के प्रसार में सहायक या बाधक नहीं होता है।'' सेक्युलर राज्य व्यक्ति को एक नागरिक के रूप में देखता है न कि किसी विशेष धार्मिक समूह के सदस्य के रूप में। अधिकार और कर्त्तव्य व्यक्ति के धार्मिक विश्वासों से प्रभावित नहीं होते।

सेकुलरिज्म और आधुनिकीकरण

सेकुलरिज्म और आधुनिकीकरण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण सम्बन्ध है। वैज्ञानिक भावना, और व्यक्तिवाद, सर्वमुक्तिवाद, विशिष्ट निष्ठा जैसे– जाति, रक्त–संबंध, क्षेत्र, धर्म आदि से स्वतंत्रता, विधि का शासन, इत्यादि आधुनिकीकरण और सेकुलरिज्म की मूलभूत विशेषताऐं हैं। इस प्रकार सेकुलरिज्म वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा संस्कृति, राज्य, अर्थव्यवस्था, विधि और समाज के अधिक से अधिक क्षेत्र धर्म से तब तक पृथक होते जाते हैं जब तक कि धर्म प्रत्येक व्यक्ति और उसके ईश्वर के बीच शुद्धतः निजी मामला नहीं बन जाता है।[8] इसी कारण सेकुलरिज्म से धर्म सामाजिक–सामुदायिक होने के बावजूद व्यक्तिगत स्वरूप में आ गया है जो व्यक्ति के बाह्य व्यवहारों को नहीं के बराबर प्रभावित करता है।

इस प्रकार सेकुलरिज्म की अवधारणा में धर्म और राज्य के पृथक्करण का आधार ऐतिहासिक धरातल पर चर्च और राजा के बीच, धार्मिक शक्ति और लौकिक शक्ति के बीच संघर्ष पाया जाता है। अतः सेकुलरिज्म का मूल अर्थ यह स्वीकार किया जाने लगा है कि व्यक्ति के जीवन में धर्म का हस्तक्षेप न हों।[9] अतएव सेकुलरिज्म ने बहुत हद तक धर्म के वर्चस्व को कम कर दिया। यह कमी

धारे–धीरे व्यक्तिगत और सार्वजनिक व्यवहार में दिखने लगी है।

इस प्रकार सेक्युलर राज्य का विकास विभिन्न ऐतिहासिक चरणों से गुजरा है। इसके विकास से विभिन्न उद्देश्य का समावेश हुआ है। फ्रांस में तथा अनेक देशों में इसका विकास धर्म और राज्य के मध्य शताब्दियों के संघर्ष का परिणाम रहा है। अमेरिका में सेकुलरिज्म धर्म के विरोध द्वारा नहीं प्राप्त हुई, बल्कि इसका विकास धर्म और राज्य के बीच पारस्परिक सहभाव के साथ होता रहा है। साम्यवादी देशों में धर्म–विरोधी प्रचार से ईश्वर की अवधारणा को नकारने का प्रयास किया। तुर्की में कमाल अतातुर्क ने सेक्युलर मूल्यों को अपनाया। भारत में अमेरिका के तरीकों से सेक्युलर मूल्यों, भारतीय परंपराओं और परिस्थितियों में समन्वय स्थापित किया गया है।[10] भारत में सेकुलरिज्म की अवधारणा को पश्चिम अवधारणा की भांति नहीं अपनाई गई है भारतीय समाज में धर्म शासक पर नियंत्रण का जरिया कभी नहीं रहा। इसके विपरित यहाँ धर्म जीवन की पूर्णता और सभ्य सामाजिक सरोकारों का आधार रहा है। इसमें समाज और शासक को बुराइयों से परे रहने का संवाद और अनुशंसा है। संभवतः इसी कारण भारत में धर्म पुरूषों और राजा (शासक) के बीच संघर्ष का उदाहरण नहीं मिलता है। बल्कि अच्छे समाज के निर्माण में दोनों एक दूसरे के पूरक माने जाते थे इसीलिए भारतीय सेकुलरिज्म में संघर्ष विरोध नहीं बल्कि सहयोग–सद्भाव की प्रमुखता है।

सेकुलरिज्म की भारतीय अवधारणा

भारत धर्मों, जातियों, सम्प्रदायों, भाषाओं और संस्कृतियों का एक संग्रहालय है। यहाँ विभिन्न जातियों के लोग विभिन्न भाषायें बोलते हैं, विभिन्न धर्मों हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी लोगों को समान रूप से धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। सदियों से विभिन्न जातियों धर्मों के लोग अपनी विशिष्टताओं के साथ यहाँ आये, इनका एक दूसरे के साथ सम्मिश्रण हुआ। इनकी भाषा, वेश–भूषा, खान–पान और रहन–सहन ने एक–दूसरे को प्रभावित किया। भाषा चाहे अलग क्यों न हो, परन्तु सब भारतीयता की संस्कृति के धागे से बंधे हुए हैं और उनके आचार–विचार पूर्णतया भारतीय हैं। जो वैदिक, बौद्ध, हिन्दू–मुस्लिम और आधुनिक संस्कृतियों का सम्मिश्रण है।[11] अतएव इस बहुलता से परिपूर्ण देश में सौहार्द और सुशासन के लिए आवश्यकता थी सेकुलरिज्म की। ये और अधिक जरूरी हो गया देश के विभाजन से। कांग्रेस के नेताओं ने जिन्ना के ''द्वि–राष्ट्र'' के सिद्धांत को हमेशा नकारा और उसकी पुष्टी के लिए सेकुलरिज्म ने मजबूत आधार प्रदान किया।

भारतीय सेकुलरिज्म 19वीं सदी के अंत में उपनिवेशवाद से आजादी की लड़ाई के अस्त्र के तौर पर प्रकट और प्रकाशित हुई थी। यह आजदी की विचारधारा थी। उपनिवेशवादी शासकों ने शुरू से ही और 1857 के बाद से तो और ज्यादा, भारत के लोगों को जाति, भाषा, धर्म और इलाकों के आधार पर बाँटने की कोशिश की। बीसवीं सदी की शुरूआत तक तो साम्प्रदायिकता भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई के खिलाफ बड़ी समस्या बन गई थी मूल रूप से अंग्रेजों की ''फूट डालो और शासन करो'' की नीति ने सांप्रदायिकता की आग में घी का काम किया जैसे–1909 का अधिनियम (मार्ले–मिन्टो सुधार), भारत शासन अधिनियम 1919 (मांटेग–चेम्सफोर्ड सुधार), 1932 का सांप्रदायिक अवार्ड आदि। इस चुनौती के समाधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 19वीं सदी के अंत से ही सेकुलरिज्म पर जोर दिया। इसके महत्व का प्रचार–प्रसार किया गया। इसलिए भारत में ''धर्मनिरपेक्षता का पहला अर्थ ही सांप्रदायिकता का विरोध हो गया और वही आज का भी सच है।''[12] भारत में सेकुलरिज्म सभी धर्मों के साथ समान संबंधों की ओर संकेत करती है। सेकुलरिज्म का मतलब धर्म के संबंध में संशयवाद है परन्तु भारत के संबंध में सेकुलरिज्म का अर्थ भिन्न है। यहाँ सेकुलरिज्म शब्द का प्रयोग सरकार द्वारा धर्म के मामलों में पक्षपात रहित व अहस्तक्षेप का व्यवहार करना है।[13]

परन्तु कुछ विद्वानों का मानना है कि भारत में सेकुलरिज्म का अर्थ सांप्रदायिकता का पर्यायवाची है जहाँ सभी धर्मों के लोग मिल–जुलकर रहते हैं और कुछ का मानना है कि सेकुलरिज्म धर्म के संबंध में राज्य का दृ ष्टिकोण है परन्तु सभी धर्मनिरपेक्षवादी इस बात से सहमत है कि राज्य को विभिन्न धर्मों के बीच पक्षपात रहित और धार्मिक तर्कों से दूर रहना चाहिए तथा राज्य की पहचान किसी भी धार्मिक पहचान के आधार पर नहीं होनी चाहिए।[14]

गाँधी, नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की भूमिका और योगदान

भारत में सेकुलरिज्म की अवधारणा की उत्पत्ति और विकास स्वतन्त्रता आन्दोलन में देखा जाता है। वैसे तो अधिकांश नेता जाति–धर्म की संकीर्णता से ऊपर उठने की बात करते थे लेकिन गाँधी, नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की भूमिका और योगदान मौलिक हैं। एक धार्मिक हिन्दू होते हुए भी गांधी सही अर्थों में धर्मनिरपेक्षवादी थे। वैसे कुछ लोग गांधी की सोच को कुछ गलत ढंग से समझते थे क्योंकि गांधी स्वभाव से धार्मिक व्यक्ति थे। उनके अनुसार धार्मिकता से राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए वे आध्यात्मिक राजनीति पर बल देते थे। उनके आदर्श राज्य की परिकल्पना राम राज की थी। जिसमे किसी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। इसे महज निरा–स्वप्न कह सकते हैं परन्तु गाँधी ने रामायण वर्णित राम के आदर्श को स्थापित करना चाहा। इस लिए कुछ लोग इसे सांप्रदायिक और प्रतिक्रियावादी मानते थे। परन्तु बिपन चंद्र का कहना है कि गांधी गहन धार्मिक और बहुत नैतिक व्यक्ति थे। उन्होने धर्म शब्द का दो भिन्न अर्थों में इस्तमेल किया। एक तो हिन्दुत्व, इस्लाम और ईसाइयत आदि के संदर्भ में और दूसरे ईश्वर और सत्य में विश्वास के रूप में। जब उन्होंने यह कहा कि राजनीति को धर्म पर आधारित होना चाहिए तो वे हिन्दू और मुसलमान की बात नहीं कर रहे थे, वे उस धर्म की बात कर रहे थे जिसका अर्थ नैतिकता और मूल्यों में विश्वास है और वही धर्म उनके लिए पूरे अस्तित्व का मूल आधार था। इस तरह गांधी जी ने अपनी सेकुलरिज्म नीति साफ करते हुए उन्होंने 1936 में लिखा था कि ''अगर मेरे पास ताकत

होती तो में सांप्रदायिकता को प्रचारित करने वाले साहित्य पर प्रतिबंध लगा देता, उन्होंने बार–बार कहा था कि सांप्रदायिकता न सिर्फ राष्ट्र विरोधी है बल्कि हिन्दुओं के मामले में हिन्दू विरोधी और मुस्लिमों के मामले में मुस्लिम विरोधी है।[15]

जवाहरलाल नेहरू को आधुनिक भारत का निर्माता माना जाता है। सेकुलरिज्म पर नेहरू का भरोसा इतिहास के प्रति उनकी दृष्टि और हमारे सभ्यता मूलक लोकाचार पर आधारित था। नेहरू के अनुसार सेक्युलर शब्द कोई बहुत आनन्द देने वाला शब्द नहीं है। फिर भी इससे बेहतर शब्द न मिल पाने के कारण हमने इसका इस्तेमाल किया है। आखिर इसका बिलकुल सही मतलब क्या है? इसका मतलब ऐसा राज्य है जिसमें धर्म को निरूत्साहित किया जाता हो। इसका मतलब है धर्म और अंतर्रात्मा की आजादी, जिसमें उन लोगों की भी आजादी शामिल है जो किसी धर्म को नहीं मानते। इसका मतलब है सभी धर्मों को खुलकर व्यवहार करने की आजादी या बंदिश इतनी ही होगी कि वे एक दूसरे के मामले में और राज्य की बुनियादी अवधारणाओं के मामले में हस्तक्षेप न करें। संख्या अथवा अन्य किसी कारण से बने प्रमुख समुदायों के लिए जरूरी है और यह उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी हैसियत को इस तरह न जतलाऐं जिससे हमारे सेक्युलर आदर्श पर बुरा प्रभाव पड़े।[16] इस प्रकार गांधी और नेहरू के कथनो से पता चलता है कि दोनों ही भारत में सेकुलरिज्म के प्रति प्रतिबद्ध थे तथा भारत जैसे विविधता वाले समाज में सेकुलरिज्म से कोई समझौता नही करना चाहते थे।

सरदार वल्लभभाई पटेल ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि सभी धर्मों के अनुयायियों से मैं निवेदन करता हूँ कि सभी धर्मों के लोगों को परस्पर सहिष्णुता और भाई चारे से रहना चाहिए।[17] मौलाना अब्दुल कलाम आजाद भी सांप्रदायिकता के विरोधी थे और भारत–पाकिस्तान विभाजन के खिलाफ थे। कलाम नही चाहते थे कि भारत का विभाजन हो। कलाम का मानना था कि भारत का विभाजन नुकसानदायक होगासिर्फ मुस्लमानों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए क्योंकि विभाजन सांप्रदायिक समस्या का समाधान नहीं करेगा। यह भारत की स्थाई विशेषता बन जाएगा और इसलिए भारत–पाक विभाजन के कारण ही आज भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण संबंध बन गए हैं।[18]

स्वतंत्रता आन्दोलन के दार्शनिक और राजनैतिक झलक भारतीय संविधान में दिखती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सेक्युलर राज्य घोषित किया गया है। भारतीय संविधान में धर्म अथवा जाति का भेदभाव किये बिना प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार प्रदान किये गये हैं। इनके अतिरिक्त अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा और उनके विकास के लिए समुचित प्रावधान किए गए। मूलतः भारतीय राज्य धार्मिक मामलों में पूर्णतया तटस्थ है क्योंकि वह धर्म को व्यक्तिगत मामला मानता है।[19]

भारत सेकुलरिज्म और अल्पसंख्यकों को सुरक्षा के लिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 1976 में 42 वें संशोधन द्वारा 'सेकुलरिज्म' शब्द जोड़ा गया तथा साथ ही यह भी जाहिर हो गया भारतीय राज्य का कोई धर्म नहीं होगा और भारतीय राज्य सभी धर्मों के साथ बराबर समानता का व्यवहार करेगा।[20] इस तरह देश की एकता और विभिन्न समुदायों के बीच भ्रातृत्व को मजबूती प्रदान किया गया। इस तरह सेकुलरिज्म एक भावना नहीं बल्कि कानूनी व्यवस्था बन गई। पहले ही संविधान की धारा 25–28 में धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान है।

स्पष्टतः भारत की सेकुलरिज्म और पश्चिम की सेकुलरिज्म में काफी अन्तर है। इस प्रकार सेकुलरिज्म की पाश्चात्य अवधारणा की भांति भारत में धर्म को बौद्धिक अवमानना की दृष्टि से नहीं देखा जाता,अपितु उसके विपरीत सेकुलरिज्म से तात्पर्य सभी धर्मों को स्वीकार करने और उनका सम्मान करने से लिया गया है। इस अर्थ में धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा का भारतीय संदर्भ में उचित धर्मनिरपेक्षता न होकर धर्मसापेक्षता है।[21]

सेकुलरिज्म पर भारतीय विद्वानों की धारणा

सेकुलरिज्म की अवधारणा इतनी व्यापक है कि विशेषज्ञों में काफी मतभेद है। कुछ सही मानते हैं तो कुछ इसे साम्प्रदायिकता का दूसरा स्वरूप या फिर तुष्टीकरण या महज एक दिखावा मानते है। आशीष नंदी ने अपनी रचना 'An Anti-secularist Manifesto' में भारतीय सेकुलरिज्म की आलोचना की है। आशीष नंदी का मानना है कि भारत में सेकुलरवाद की आधुनिक अवधारणा पश्चिमी इतिहास से उधार ली गई है। इसलिए नंदी ने सेकुलरवाद की पश्चिमी व भारतीय अवधारणा में अन्तर करते हुए कहा है कि पश्चिमी अर्थ के अनुसार धार्मिक सहिष्णुता हासिल करने का केवल एक ही तरीका है कि लोगों की निगाह में धर्म के महत्व को कम किया जाये और राजनीति को धर्म से छुटकारा दिलाया जाये। इस दलील का आग्रह है कि राजनीति धर्म से जितनी कम प्रदुषित होगी राज्य उतना ही सेकुलर होता चला जाएगा। परन्तु नंदी का यह भी मानना है कि सेकुलरवादी व्यवहार ने कट्टरपंथी राजनीति को जन्म दिया है तथा दक्षिण एशियाई समाजों में धार्मिक सहिष्णुता के आयामों का प्रयोग किए बिना एक सहिष्णु समाज बनाने के प्रयोग के तौर पर सेकुलरवाद आज नाकाम हो चुका है।[22]

त्रिलोकी नाथ मदन की रचना 'Secularism in its palce' में मदन का मानना है कि सेकुलरवाद आधुनिक विज्ञान और प्रोटेस्टेंट मत के द्वंद्वात्मक संबंधों की देन है। दक्षिण एशिया की धार्मिक परंपराओं में इस उधार की विचारधारा के तत्व खोजना बेकार की चेष्टा है। सेकुलरवाद का भारतीय रूप रचने के लिए हमारे आधुनिकवादियों को समझना होगा कि धर्म को गंभीरतापूर्वक लिये बिना दक्षिण एशिया में सहिष्णु समाज संभव नहीं हो सकता। इसलिए मदन ने कहा है कि भारतीय सेकुलरवाद को 'सर्वधर्म सम्भाव' की संज्ञा दी जा सकती है तथा मदन निष्कर्ष निकालते हैं कि सेकुलरवाद का मतलब किसी भी धर्म को न मानने वाले की हैसियत भी भारत में धर्मावलंबियों जितनी ही हो, न ऊँची और न नीची।[23]

राजीव भार्गव अपने लेख 'Giving Secularism Its Due' में सेकुलरवाद की आलोचना करने वाले त्रिलोकी

नाथ मदन, आशीष नंदी, और पार्थ चटर्जी की आलोचना करते हुए कहते हैं कि इन लोगों का बहुलतावाद पक्षपातपूर्ण है और वे पारंपरिक समुदायों की आपसी सहिष्णुता से ज्यादा उम्मीद लगा बैठे हैं तथा भारत का सेकुलरवाद इंग्लैंड और फ्रांस के सेकुलरवाद जैसा नहीं है। उसे चर्च और राज्य के टकराव की रोशनी में देखे जाने की बजाय बहुधर्मी राज्य में विभिन्न धर्मों के बीच होने वाले टकरावों को टालने और साधारण जनता के लिए सामाजिक सह–अस्तित्व की गारंटी देने वाली परियोजना के संदर्भ में देखे जाने की जरूरत है। ये लोग सेकुलरवाद को जिस बात के लिए खारिज करते हैं दरअसल उसी बात के लिए उसकी सख्त जरूरत है। आवश्यकता सेकुलरवाद के विकल्प की नहीं, बल्कि वैकल्पिक सेकुलरवाद की है।[24] इन विशेषज्ञों के विचारों में मतभेद चाहे जो भी हो इतना तो स्पष्ट है कि सभी भारतीय संदर्भ में सेकुलरिज्म की जरूरत महसूस करते हैं और भारतीय समाज की भी ऐसी ही सोच है। निश्चय ही इसी कारण हर राजनीतिक दल अपने को 'सच्चा' सेक्युलर बताने के होड़में लगा रहता है।

भारत की धर्मनिरपेक्षता भारतीय लोकतंत्र की विशेषता हैं। ये विशेषताएँ हैं :

1. राज्य किसी धर्म द्वारा नियंत्रित नहीं होगा
2. राज्य मानव जीवन में धर्म की आवश्यकता, प्रासंगिकता और वैद्यता को मान्यता देता है क्योंकि भगवान में विश्वास को न तो नकारा गया है और न ही महत्वहीन घोषित किया गया है।
3. राज्य नागरिकों के साथ धर्म व आस्था के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा।
4. भारत के सभी नागरिकेां को राजनीतिक समानता दी गई है जिसके आधार पर वे सभी राज्य के अधीन उच्चतम पद के आकांक्षी हो सकते हैं और यही समानता भारतीय सेकुलरिज्म को मजबूत करती है।[25]

निष्कर्ष

इस प्रकार सेकुलरिज्म की अवधारणा सामाजिक संरचना, संस्कृति तथा वहाँ के लोगों की अकांक्षाओं के अनुरूप होती है। यही कारण है कि सेकुलरिज्म की पश्चिमी एवं भारतीय अवधारणाओं में अन्तर है। सभी सेक्युलर राज्यों में एक तथ्य सामान्य है– वे न तो धर्मतांत्रिक है और न ही किसी विशेष धर्म की स्थापना करते हैं। परन्तु यह अन्तर अवश्य है कि कहीं राज्य एवं धर्म में बिल्कुल ही संबंध–विच्छेदित है तो कही राजसत्ता धर्म के प्रासंगिक व्यवहार को लेकर संवेदनशील भी है।[26] भारत में राज्य धर्म के संबंध में तटस्थ रहता है परन्तु तटस्थता का यह मतलब नहीं है कि भारतीय राज्य धर्म के प्रति संवेदनशील नहीं है। प्रयास यही रहा है कि सभी जाति–धर्म के मानने वालों का विकास हो, किसी के साथ भेदभाव न हो। इतना ही नहीं कमजोर तबके के लोगों के विकास के लिए विशेष प्रयास भी करने के प्रावधान हैं। दुर्भाग्यवश, समय–समय पर अवसरवादी राजनीति के कारण भारत के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप पर आघात भी पहुँचा है। इन कतिपय अपवादों को छोड़आम तौर पर भारतीय समाज और राज्य में उन्हीं ताकतों का वर्चस्व संभव रह पाया है जो 'सर्वधर्म सम्भाव' के विस्तृत विचार पर चलते हैं। हालांकि देश–दुनियाँ में जिस प्रकार की लहर चल रही है उससे भारतीय सेकुलरिज्म को भी खतरा पैदा हो गया है। इस लिए आवश्यक है कि इस परम्परा को और मजबूत किया जाए। इसमें प्रगतिशील शक्तियों की महत्त्वपूर्ण भूमिका आवश्यक है। चूंकि सेकुलरिज्म सबको समान विकास के अवसर प्रदान करता है। इसलिए भारतीय सेकुलरिज्म धार्मिक स्वतंत्रता और समानता के साथ–साथ आर्थिक और सामाजिक न्याय का जरिया भी है। इस प्रकार भारतीय सेकुलरिज्म की अवधारणा सभी धर्मों के सह–अस्तित्त्व ही नहीं बल्कि सहविकास पर आधारित है। विभिन्न चुनौतियों और त्रुटियों के बावजूद भारतीय समाज में सहिष्णुता, सहयोग और सद्भाव की भावना मजबूत रही है। इसी कारण इस देश में ''सर्वधर्म सम्भाव'' या ''सबका साथ, सबका विकास'' हमेशा सुना और देखा जाता है। यही धर्मनिरपेक्षता की आवाज और व्यवहार है।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. *यादव, सुषमा, धर्मनिरपेक्षता और भारतीय परम्परा (नई दिल्ली : नार्दन बुक सेन्टर, 1988), पृष्ठ 14*
2. *Gauba, O.P. समाज विज्ञान कोष (NewDelhi % B.R. Publishing Corporation, 1984), page 246*
3. *Outhwaite,William (ed.), The Blackwell Dictionary of Modern Social Thought (Oxford : Blackwell publishing, 2003), page 584*
4. *Tyagi, Ruchi,Secularism in Multi-Religions India Society (New Delhi: Deep & Deep Publications, 2001), page 1-2*
5. *Rizvi, Md. MahtabAlam, Secularism in India, Retrospect and Prospects, The Indian Journal of Political Science (Meerut), vol. LXVI, no. 4, October-December, 2005, http://www.jstor.org/stable/41856174*
6. *Chishti, S.M.A.W., "Secularism in India : An Overview", The Indian Journal of Political Science (Meerut), vol. 65, no. 2 (April-June 2014), page 183-198, http://www.jstor.org/stable/41855808*
7. *दुबे, एम.पी, धर्मनिरपेक्षता और भारतीय प्रजातंत्र (नई दिल्ली : नेशनल पब्लिशिंग हाऊस, 1991), पृष्ठ 14*
8. *दुबे, एम.पी, धर्मनिरपेक्षता और भारतीय प्रजातंत्र (नई दिल्ली : नेशनल पब्लिशिंग हाऊस, 1991), पृष्ठ 4*
9. *यादव, सुषमा, धर्मनिरपेक्षता और भारतीय परम्परा (नई दिल्ली : नार्दन बुक सेन्टर, 1988), पृष्ठ 18, 22*
10. *दुबे, एम.पी, धर्मनिरपेक्षता और भारतीय परम्परा (नई दिल्ली : नेशनल पब्लिशिंग हाऊस, 1991), पृष्ठ 19*
11. *दुबे, एम.पी, धर्मनिरपेक्षता और भारतीय परम्परा (नई दिल्ली : नेशनल पब्लिशिंग हाऊस, 1991), पृष्ठ 21*
12. *चंद्र, बिपन, सांप्रदायिकता एक परिचय (नई दिल्ली : अनामिका पब्लिशर्स, 2004), पृष्ठ 6*
13. *Roy,Sanjay, "Important India, Discover the Importance of India : Essay on Secularism in India", Feb. 4, 2014, www.importantindia.com/10429/essay*
14. *Mushirul Hasan(ed.), Will Secular India Survive? (New Delhi : Paul Press, 2004), page 73*
15. *चन्द्र, बिपन, सांप्रदायिकता एक परिचय (नई दिल्ली : अनामिका पब्लिशर्स, 2004), पृष्ठ 69, 71*

16. *लाहिरी, प्रतीप के., भारत में सांप्रदायिक दंगे और आतंकवाद (नई दिल्ली : राजकमल प्रकाशन, 2012), पृष्ठ 160–161*
17. *Chopra,P.N (ed.), The collected work of SardarVallabhbhai Patel, Volume-I (1918-1925)*
18. *Azad, Maulana Abdul Kakam, India Wins Freedom, An Autobiograhical Narrative (New Delhi: Orient Longmams, 1959) page 184, 226*
19. *चौधरी, बी. एन. एवं युवराज कुमार (सं.),भारत में राजनीतिक प्रक्रियाऐं (दिल्ली विश्वविद्यालय : हिन्दी कार्यान्वय निदेशालय, 2013), पृष्ठ 97*
20. *Gauba,P., समाज विज्ञान कोष (New Delhi : B.R. Publishing Corporation, 1984), page 246*
21. *यादव, सुषमा, धर्मनिरपेक्षता और भारतीय परंपरा (नई दिल्ली : नार्दन बुक सेन्टर, 1988), पृष्ठ 32*
22. *Nandy, Ashish, "An Anti-secularist Manifesto" India internatinalcentre Quarterly, vol.22,no.1*
23. *Madan,T.N, "Secularism in its palce" The Journal of Asian Studies vol. 46, no.4 (No., 1987), pp. 747-759, http://www.jstor.org/stable/2057100*
24. *Bhargava, Raveev, (ed.), Secularism and Its critics (New Delhi : Oxford University Press, 1998)*
25. *यादव, सुषमा, धर्मनिरपेक्षता और भारतीय परंपरा (नई दिल्ली : नार्दन बुक सेन्टर, 1988), पृष्ठ 28*
26. *चौधरी, बासुकी नाथ, आज का भारत और समाज (नई दिल्ली : ओरिएंट ब्लैकस्वॉन, 2013), पृष्ठ 117*